

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर  
क्रमांक:-एफ. 4(1)76/वउ/प्रमुखसं/ 48-198-

दिनांक: 12/02/20

निमित्त,

समस्त वन अधिकारीगण

विषय:-सालर एवं अन्य सभी प्रकार की गोंद विदोहन पर प्रतिबंध बाबत।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प0 6(4) वन/90 दिनांक 21.05.2012 द्वारा राज्य में सालर एवं अन्य सभी प्रकार के गोंद विदोहन एवं संग्रहण पर अग्रिम आदेशों तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। राज्य सरकार के उक्त पत्र की प्रति इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 96-230 दिनांक 09.07.2012 द्वारा आपको भिजवाई गई है। सुलभ संदर्भ के लिए उक्त आदेश की छाया प्रति पत्र के साथ पुनः संलग्न भिजवायी जा रही है। कृपया उक्त आदेश की पालना अमल में लावे, जिसके लिए आपको पुनः स्मरण कराया जा रहा है।

संलग्न:-एक (पीछे अंकित है)

7/CF (I-T)  
बन संरक्षक यशविनि 21/9  
(पीछे अंकित है)  
19/2


भवदीय

  
(एम.क.कुरील)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)  
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार  
वन विभाग

जयपुर, दिनांक:- 21.05.2012



क्रमांक 1006(4)वन/90

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एव ओ.एफ.एफ.),  
राजस्थान जयपुर

विषय:- सालार एवं अन्य सभी प्रकार की गोंद विदोहन पर प्रतिबन्ध बावत्।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक एफ.4(1)76/वड/प्रमुखसं/पार्ट-ii/66 दिनांक  
27.2.2012 एवं 77 दिनांक 23.3.2012 एवं इस कार्यालय का  
समसंख्यक पत्र दिनांक 26.7.2007

AP (P)

2015/11 महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि सालार  
एवं अन्य सभी प्रकार के गोंद विदोहन एवं संग्रहण पर राज्य सरकार के अग्रिम आदेशों  
तक पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाता है।

यह स्वीकृति ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की आई.डी. संख्या 1035  
दिनांक 29.3.2012 एवं वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी. संख्या 171200491 दिनांक  
18.05.2012 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

(सी.एस. रक्तासामी)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. शासन सचिव एवं आयुक्ता, पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
5. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग राजस्थान जयपुर।
5. उप शासन सचिव, वित्त (राजस्व डिबीजन) विभाग, राजस्थान जयपुर।

शासन सचिव